भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2568
सोमवार, 16 मार्च, 2026 (25 फाल्गुन 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों का आगमन और प्रस्थान

2568. श्री खीरू महतोः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमानों के आगमन और प्रस्थान में देरी को ध्यान में रखते हुए निजी एयरलाइनों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस देरी के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): सामान्यतया, एयरलाइनों द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार उड़ानें परिचालित की जाती हैं। तथापि, कई बार मौसम, तकनीकी, परिचालन, एटीसी, रैंप, हवाईअड्डे की समस्याओं आदि जैसे विभिन्न असाधारण कारणों, जिन्हें एयरलाइन द्वारा सभी युक्तिसंगत उपाय किए जाने पर भी टाला नहीं जा सकता था, से उड़ानों में देरी हो जाती है।

उड़ान में देरी के कारण हवाई यात्रियों को उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डीजीसीए ने "बोर्डिंग से इनकार, उड़ानों के रद्दकरण और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएँ (सीएआर) खंड 3, श्रृंखला एम, भाग IV जारी की हैं।

*****